न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 74/2020

नबाब अली पुत्र जीवण खां, जाति कायमखानी, ग्राम कोलिण्डा, तहसील व जिला झुंझुनूं
बनाम
लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।
— —
सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 14.10.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.09.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 74/2020 पर दिनांक 22.09.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/1445–1446 दिनांक 22.09. 2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/343 दिनांक 9.10.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण मे अपीलान्ट द्वारा आवेदकगण (1) सायरा बानो पत्नि नाजिर (2) मकसूद पुत्र कासम अली (3) अमनतुल्ला पत्नि युनुस खां निवासी नूआं का खाद्य सुरक्षा मे जोडे गये आदेश की प्रति व किये गये आवेदन की सूचना चाही गई थी। इस कार्यालय के पत्रांक 407–408 दिनांक 14.08.2020 के द्वारा आवेदक नबाब अली पुत्र जीवण खां निवासी कोलिण्डा को सूचित किया जा चुका है कि (1) आवेदन पत्र इस कार्यालय मे किस दिनांक को किया गया था। (2) आवेदन का माध्यम ऑनलाईन/ऑफलाईन था इसका भी उल्लेख नही किया गया। (3) ऑनलाईन आवेदन किये गये आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि इस कार्यालय से उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। (4) उक्त वांछित सूचना इस कार्यालय मे पेश करे अन्यथा आपका आवेदन पत्र खारिज कर दिया जारवेगा। उक्त पत्र लिखे जाने के उपरांत भी आवेदक द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक आरटीआई/343 दिनांक 9.10.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण मे अपीलान्ट द्वारा आवेदकगण (1) सायरा बानो पत्नि नाजिर (2) मकसूद पुत्र कासम अली (3) अमनतुल्ला पत्नि युनुस खां निवासी नूआं का खाद्य सुरक्षा मे जोडे गये आदेश की प्रति व किये गये आवेदन की सूचना चाही गई थी। उनके कार्यालय के पत्रांक 407–408 दिनांक 14.08.2020 के द्वारा आवेदक नबाब अली पुत्र जीवण खां निवासी कोलिण्डा को सूचित किया जा चुका है कि (1) आवेदन पत्र इस कार्यालय मे किस दिनांक को किया गया था। (2) आवेदन का माध्यम ऑनलाईन/ऑफलाईन था इसका भी उल्लेख नही किया गया। (3) ऑनलाईन आवेदन किये गये आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि इस कार्यालय से उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। (4) उक्त वांछित सूचना उनके कार्यालय मे पेश करे अन्यथा आपका आवेदन पत्र खारिज कर दिया जारवेगा। उक्त पत्र लिखे जाने के उपरांत भी आवेदक द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जिसके कारण आवेदक को सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं
14/10/2020